

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-205th/18-05-2021-1600(359)/2014

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उ० प्र० शासन।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर, 2021

विषय-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सामान्य(1)प्रथम/4363/2018-19, दिनांक-13.08.2018, सामान्य(1)प्रथम/7255/2018-19, दिनांक-26.03.2019, सामान्य(1)प्रथम/7260/2018-19, दिनांक-26.03.2019, सामान्य(1)प्रथम/7265/2018-19, दिनांक-28.03.2019, सामान्य(1)प्रथम/7274/2018-19, दिनांक-29.03.2019, सामान्य(1)प्रथम/2047/2020-21, दिनांक-17.08.2020, सामान्य(1)तृतीय/11469/2020-21, दिनांक-11.11.2020, सामान्य(1)तृतीय/11690/2020-21, दिनांक-19.11.2020 एवं सामान्य(1)तृतीय/11767/2020-21, दिनांक-19.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदों (समूह-ग) पर चयन/नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदों (समूह-ग) पर चयन/नियुक्ति हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय-तीन के विनियम 101 में व्यवस्था विद्यमान है। विद्यमान व्यवस्था में प्रश्नगत पदों पर चयन/नियुक्ति की कोई स्पष्ट प्रक्रिया विहित न होने के कारण प्रश्नगत अधिनियम-1921 के अध्याय-3 के विनियम 101 में विद्यमान व्यवस्था में संशोधन कर उसके स्थान पर प्रतिस्थापित व्यवस्था/चयन प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

विद्यमान व्यवस्था/चयन प्रक्रिया	प्रतिस्थापित व्यवस्था/चयन प्रक्रिया
1	2
विनियम-101	विनियम-101

5

<p>“नियुक्ति प्राधिकारी निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था के शिक्षणेत्तर (लिपिक संवर्ग) पद की रिक्ति को नहीं भरेगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त रिक्तियों की संख्या शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को उपलब्ध करायेगा तथा संस्था में छात्र संख्या दर्शाते हुए पदों को भरे जाने के औचित्य को भी स्पष्ट करेगा। शिक्षा निदेशक, माध्यमिक से आदेश प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त रिक्तियों (चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों</p>	<p>(1) विद्यालयवार चयन समिति—</p> <p>अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 सम्बन्धित विद्यालय का प्रबंधक अथवा प्रबंध समिति द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो वर्तमान प्रबंध समिति का सदस्य हो। (विद्यालय प्रबंध समिति का अस्तित्व न होने की दशा में प्राधिकृत नियंत्रक उपरोक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।) अध्यक्ष 2 जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सह जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी— सदस्य सचिव 3 जिला सेवायोजन अधिकारी— सदस्य (जिला सेवायोजन अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जनपद स्तरीय अधिकारी) 4 जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य— सदस्य 5 कम संख्या—1,2,3 व 4 में नामित सदस्यगण में से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न होने पर जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी/अधिकारियों को नामित किया जायेगा। <p>(2) आवेदन हेतु पात्रता—</p> <p>उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) में 50 एवं अधिक पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत चयन के लिये आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। (PET स्कोर से तात्पर्य आवेदन की तिथि पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घोषित वैध स्कोर से है।)</p>
---	--

<p>को छोड़कर) को भरने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमति प्रदान करेगा और अनुमति प्रदान करते समय शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों एवं पदों के औचित्य के लिए निर्धारित मानकों का</p>	<p>(3) आवेदन की प्रक्रिया—</p> <p>प्रश्नगत चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) में 50 एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न प्रक्रिया के अनुसार आमंत्रित किया जायेगा—</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जायेगी। ▶ जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त पदों की पुष्टि औचित्य, मृतक आश्रित एवं अधिसंख्य पद का समायोजन, आरक्षण के नियमों का अनुपालन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा नियमों के आलोक में औचित्य एवं आवश्यकता के परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत पदों को भरे जाने हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा। शिक्षा निदेशक के आदेश के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय-तीन के विनियम-101 की प्रतिस्थापित व्यवस्थानुसार पदों को भरने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी (प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकार नियंत्रक) को अनुमति प्रदान किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबंध तंत्र माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले (जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूची के प्रथम 5 में से) कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार/ आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। ▶ विज्ञापन में पद का वेतनमान व अन्य भत्ते, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये जायें तथा आवेदन पत्र भरे जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश अंकित किया जायेगा। आवेदन पत्र भरने हेतु ऐसा अंतिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए) विहित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। ▶ अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा तथा उसकी छायाप्रति सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के ई-मेल आई0 डी0 पर प्रेषित किया जायेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ई-मेल आई0डी0 को विज्ञप्ति में प्रकाशित कराया जायेगा।
<p>पालन करायेगा।”</p>	<p>(4) आरक्षण—</p>

उ०प्र० की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को उ०प्र० सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा-उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजनों तथा उ०प्र० की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों/अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार रिक्तियां बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

- ▶ उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3/2019 /4/1/2002/का-2/19 टी०सी०-11 दिनांक 14 मार्च, 2019 में विहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राविधानानुसार देय होगा।
- ▶ दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों पर क्षेत्रीय आरक्षण दिव्यांग/विकलांग कल्याण अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 35/65-3-11-78/99, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार देय होगा।

(5) आयु सीमा-

- ▶ प्रश्नगत विज्ञापन में अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
नोट:- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने एवं आरक्षण का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में विहित "भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा" के अन्तर्गत परिभाषित होना आवश्यक है और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन की अन्तिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है। समाज के दिव्यांगजनों को उ०प्र० सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

2

(6) आवेदन शुल्क-

लिपिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु निम्नानुसार श्रेणीवार आवेदन शुल्क अनुमन्य होगा:-

क्र०सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अनारक्षित (सामान्य)/ अन्य पिछड़ा वर्ग	750.00
2	अनुसूचित जाति/जनजाति/ई०डब्ल्यू०एस०	500.00

(नोट- आवेदन शुक्ल बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर एवं एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से सम्बन्धित संस्था के प्रबंधक/प्राधिकृत नियंत्रक/प्रबंध संचालक के पदनाम से संचालित खाते में जमा किया जायेगा)

(7) चयन हेतु शैक्षिक अर्हता:-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय को लिया गया हो। (कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-10/2016/3/1/2015-का-2 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के अनुसार)

अथवा

कम्प्यूटर संचालन का डोएक/निलिट द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र।

अथवा

कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा/डिग्री। (कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-10/2016/3/1/2015-का-2 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के अनुसार)

३

अथवा

कम्प्यूटर में उच्च योग्यता धारी यथा-कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पी0जी0डी0सी0ए0, बी0सी0ए0, एम0सी0एम0 तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री (बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0टेक, एम0एस0सी0, एम0बी0ए0) में कम्प्यूटर के रूप अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित। (कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2018/3/1/2015-का-2 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के अनुसार)

3. कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होगी।

(8) चयन प्रक्रिया-

- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की क्वालीफाईंग टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी। टंकण परीक्षा जनपद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जायेगी। टंकण परीक्षा का अनुश्रवण तालिका के कॉलम-2 के विन्दु (1) के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- टंकण परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा 01 पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। यदि 01 पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है तो PET में सर्वाधिक पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।
- कम्प्यूटर टंकण परीक्षा क्वालीफाईंग होगी। प्रबंधक द्वारा टंकण परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को प्रेषित की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों के ई-मेल आई0 डी0 पर भी टंकण परीक्षा की तिथि की सूचना दी जायेगी।
- टंकण परीक्षा क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों की PET में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार लिया जायेगा।
- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के PET परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

- प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्त तैयार कराकर, अभिलेखों का सम्यक् परीक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताव मण्डलीय समिति को प्रेषित किया जायेगा।
- मण्डलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक् परीक्षणोपरांत वित्तीय अनुमन्यता निर्गत की जायेगी।
- चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मूल संस्था से किया जायेगा तथा व्यय शुल्क सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- चयन हेतु पदों एवं चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय में नियुक्ति के सम्बन्ध में विवाद होने की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण मण्डलीय समिति द्वारा किया जायेगा।
- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सक्षम प्राधिकारी एवं अभिसूचना इकाई (एल0आई0 यू0) द्वारा चरित्र/आपराधिक रिकॉर्ड विषयक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात संस्था प्रबंधक द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(9) अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन उ0प्र0 शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 में निर्धारित प्रारूप पर हो तथा प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं माने जायेंगे।
- आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक ही अभ्यर्थियों द्वारा

	<p>धारित अर्हता स्वीकार की जायेगी। आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता पात्रता हेतु मान्य नहीं होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनके प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर प्रश्नगत चयन से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है। • हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
--	---

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)

अपर मुख्य सचिव

संख्या- 258 (1)/15-05-2021-1600(359)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी (माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी), उत्तर प्रदेश।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र सं0-4/3/23/2021-सी0एक्स0(1), दिनांक-16 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में।
8. समस्त विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव एवं अनुभाग अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. समस्त अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

25/11/2021
(जय शंकर दुबे)

विशेष सचिव।